

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-33/2020/वाक/पांच (23).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-63/2018/वाक/पांच (103), दिनांक 10-12-2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंकों एवं चिन्ह “31-03-2020” जहां भी आये हों के स्थान पर, अंकों एवं चिन्ह “30-04-2020” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020

क्रमांक एफ-10-32/2020/वाक/पांच (23).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2020/वाक/पांच (23), दिनांक 26-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 26th March 2020

NOTIFICATION

No. F-10-33 /2020/CT/V (23). In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-63/2018/CT/V (103), dated 10-12-2018, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures and punctuation "31-03-2020", wherever they occur the figures and punctuation "30-04-2020" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-33/2020/वाक/पांच (24).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-63/2018/वाक/पांच (104), दिनांक 10-12-2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंकों एवं चिन्ह "31-03-2020" जहां भी आये हों के स्थान पर, अंकों एवं चिन्ह "30-04-2020" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2020

क्रमांक एफ-10-33/2020/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2020/वाक/पांच (24), दिनांक 26-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 26th March 2020

NOTIFICATION

No. F-10-33/2020/CT/V (24).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in this departments notification No. F-10-63/2018/CT/V (104), dated 10-12-2018, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures and punctuation "31-03-2020", wherever they occur the figures and punctuation "30-04-2020" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.